PCSMANTRA.COM

दो-बच्चे का नियम: गिरती प्रजनन दर के युग में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजा प्रश्न

राष्ट्रीय/न्यायपालिका | दो-बच्चे का नियम • जनसंख्या नीति • GS-II | समाचार-संदर्भ: 4 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 4 नवंबर 2026 | तथ्य-सुधार: 6 नवंबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने **4 नवंबर 2026** (बुधवार) को कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंड देने वाले कानून **गिरती प्रजनन दर के कारण अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं**। न्यायमूर्ति **पी.एस. नरसिम्हा** की अगुवाई वाली खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने कहा कि "ऐसे कानूनों की नींव — अर्थात अत्यधिक जनसंख्या का डर — पिछले कुछ दशकों में हुए जनांकिकीय बदलावों के कारण ढह चुकी है।" न्यायमूर्ति नरसिम्हा द्वारा लिखे निर्णय में कोर्ट ने चेताया कि यदि जनांकिकीय बदलावों पर ध्यान न दिया गया तो भारत को गंभीर परिणाम झेलने होंगे। खंडपीठ ने यह विधिक प्रश्न — क्या **दो-बच्चे के नियम का पालन करो या दंडात्मक परिणाम झेलो** वाली व्यवस्था जारी रहनी चाहिए — **बड़ी पीठ को भेज दिया**। इस दायरे में 2003 के **जावेद बनाम हरियाणा राज्य** निर्णय का पुनर्विचार भी बड़ी पीठ के समक्ष होगा।

अदालत ने क्या कहा

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भारत की **कुल प्रजनन दर (TFR) 3 से घटकर 1.9** रह गई है। प्रतिस्थापन दर (replacement rate) **2.1** होती है — इस पर एक पीढ़ी पूरी तरह अगली पीढ़ी को प्रतिस्थापित कर पाती है। कोर्ट के अनुसार, भले ही भारत की जनसंख्या अभी घट नहीं रही, प्रजनन दर के प्रतिस्थापन दर से नीचे जाने का अर्थ है **जनांकिकीय संक्रमण**: जनसंख्या धीरे-धीरे अधिक वृद्ध होगी और कार्यकारी आयु वर्ग की हिस्सेदारी घटेगी। इसलिए "जनसंख्या-वृद्धि को सीमित करने वाले कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।"

मामला क्या था: चुनाव लड़ने की पात्रता और दो-बच्चे की शर्त

कोर्ट ऐसे कानूनों की वैधता सुन रहा था जो **चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए दो-बच्चे की शर्त** रखते हैं — जैसा कि कई राज्यों में स्थानीय निकाय (पंचायत/नगरपालिका) चुनावों के लिए प्रावधान बने हैं। 2003 में **जावेद बनाम हरियाणा राज्य** में तीन-न्यायाधीश पीठ ने इस तरह की शर्त को बरकरार रखा था; अब उसी नजीर को बड़ी पीठ पुनः परखेगी।

मौलिक अधिकारों की कसौटी: अनुच्छेद 21 और लोकतांत्रिक भागीदारी

निर्णय के दो केंद्रीय तर्क: **(1)** ऐसे कानून "नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर करते हैं — ऐसे आधार पर जिसका सार्वजनिक पद संभालने की उनकी क्षमता से कोई सरोकार नहीं"। **(2)** ये कानून "बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच एक अनुचित (unconscionable) चुनाव" पर मजबूर करते हैं, जो **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रजनन स्वायत्तता (reproductive autonomy)** के अधिकार का उल्लंघन है।

जनांकिकीय संक्रमण: बाधा से बदलाव तक

भारत अब उस चरण में है जहाँ चिंता की दिशा पलट रही है: प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे जाने पर भविष्य में **वृद्ध जनसंख्या का दबाव, सिकुड़ती कार्यशील आबादी और आश्रित-अनुपात (dependency ratio) का बदलना** केंद्रीय नीति-प्रश्न बनेंगे। कोर्ट की टिप्पणी — "यदि हम ऐसे जनांकिकीय बदलावों को नोटिस नहीं करेंगे तो भारत गंभीर परिणाम भुगतेगा" — नीति-निर्माण के लिए भी संकेत है: दंडात्मक जनसंख्या-नियंत्रण के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वैच्छिक परिवार-नीयोजन पर जोर।

आगे क्या

प्रश्न अब **बड़ी पीठ** के समक्ष है: क्या दो-बच्चे के नियम से जुड़े दंडात्मक परिणाम (चुनावी अयोग्यता समेत) जारी रहने चाहिए? बड़ी पीठ का निर्णय राज्यों के स्थानीय-निकाय कानूनों और जनसंख्या-नीति के भविष्य के ढांचे दोनों को प्रभावित करेगा। तब तक 2003 की नजीर औपचारिक रूप से कायम है, परंतु 4 नवंबर के निर्णय ने उसकी नैतिक-जनांकिकीय नींव पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है।

घटनाक्रम

- **1952:** भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बना
- **2000:** राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP 2000): 2010 तक प्रतिस्थापन-स्तर TFR का मध्यकालिक लक्ष्य; 2045 तक स्थिर जनसंख्या का दीर्घकालिक लक्ष्य
- **2003:** जावेद बनाम हरियाणा राज्य: तीन-न्यायाधीश पीठ ने पंचायत चुनावों के लिए दो-बच्चे की शर्त बरकरार रखी
- **2019–21:** NFHS-5: भारत की TFR 2.0 — प्रतिस्थापन स्तर से नीचे
- **4 नवंबर 2026:** सुप्रीम कोर्ट: दंडात्मक दो-बच्चा कानून "प्रासंगिकता खो चुके"; प्रश्न बड़ी पीठ को — TFR अब 1.9

परीक्षा के लिए महत्त्व

मेन्स (GS-II/GS-I): जनसंख्या-नीति बनाम मौलिक अधिकार; अनुच्छेद 21 और प्रजनन स्वायत्तता; जनांकिकीय संक्रमण के नीतिगत मायने; न्यायिक पुनरावलोकन और नजीरों का पुनर्विचार।
प्रिलिम्स: TFR और प्रतिस्थापन दर की परिभाषा; NFHS; जावेद (2003) निर्णय; खंडपीठ बनाम बड़ी पीठ (referral) की प्रक्रिया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "दो-बच्चे के नियम से जुड़े दंडात्मक प्रावधान गिरती प्रजनन दर के युग में अप्रासंगिक हो चुके हैं।" जनांकिकीय परिवर्तन और मौलिक अधिकारों के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

भूमिका में
4 नवंबर 2026 का SC निर्णय: TFR 3→1.9; दंडात्मक दो-बच्चा कानूनों की प्रासंगिकता पर सवाल; प्रश्न (जावेद 2003 सहित) बड़ी पीठ को।

मुख्य भाग में
प्रारंभ: 4 नवंबर 2026 का SC निर्णय — TFR 3→1.9, प्रतिस्थापन दर 2.1; "अत्यधिक जनसंख्या का डर" नींव ढह चुकी। जनांकिकीय पक्ष: संक्रमण से वृद्ध जनसंख्या, सिकुड़ती कार्यशील आबादी, आश्रित-अनुपात; दंडात्मक नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त। अधिकार-पक्ष: अनुच्छेद 21 — प्रजनन स्वायत्तता; बच्चे बनाम लोकतांत्रिक भागीदारी का अनुचित द्वंद्व; चुनावी अयोग्यता से नागरिक-वर्ग का प्रतिनिधित्व से बहिष्कार; जावेद (2003) की पुनः समीक्षा की आवश्यकता। प्रतिपक्ष/सीमा: जनसंख्या-संसाधन तनाव, स्थानीय निकायों में भूमिका-आदर्श (role model) तर्क।

निष्कर्ष में
दंडात्मक दो-बच्चा नियम का उत्तर दंड नहीं, निष्क्रिय समापन है: नीति का केंद्र स्वास्थ्य-शिक्षा और स्वैच्छिक परिवार नियोजन हो — बड़ी पीठ का निर्णय इस कानूनी प्रश्न को तय करेगा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2026 के निर्णय के अनुसार भारत की TFR 3 से घटकर 1.9 रह गई है।
कथन-II: 2.1 की दर "प्रतिस्थापन दर" कहलाती है — इस पर एक पीढ़ी पूरी तरह अगली पीढ़ी को प्रतिस्थापित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल कथन-I

(b) केवल कथन-II

(c) कथन-I और कथन-II दोनों

(d) न तो कथन-I, न कथन-II

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) — दोनों कथन सही हैं — TFR 3→1.9 और प्रतिस्थापन दर 2.1, दोनों 4 नवंबर 2026 के निर्णय में दर्ज हैं।

PCS MANTRA

प्रश्न 2. 4 नवंबर 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बड़ी पीठ को कौन-सा प्रश्न भेजा है?

(a) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 संवैधानिक है

(b) क्या दो-बच्चे के नियम का पालन अथवा दंडात्मक परिणाम वाली व्यवस्था जारी रहनी चाहिए — जिसमें 2003 के जावेद निर्णय का पुनर्विचार भी शामिल है

(c) क्या TFR मापन की पद्धति बदली जानी चाहिए

(d) क्या परिवार नियोजन केंद्रीय विषय बनाया जाए

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) — खंडपीठ ने बड़ी पीठ को यह प्रश्न भेजा कि दो-बच्चे के नियम के उल्लंघन पर दंडात्मक परिणाम (चुनावी अयोग्यता जैसे) जारी रहने चाहिए या नहीं; इसी क्रम में जावेद बनाम हरियाणा (2003) की नजीर पुनः परखी जाएगी।

यह भी पढ़ें: NFHS-6: मातृ-शिशु स्वास्थ्य और पोषण के संकेतक

स्रोत

1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000: मूल नीति, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य
2. सुप्रीम कोर्ट: Javed बनाम हरियाणा, 30 जुलाई 2003, मूल निर्णय; न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी, अशोक भान और अरुण कुमार की पीठ
3. इंडियन एक्सप्रेस, 6 नवंबर 2026: 4 नवंबर के रेफरल का विश्लेषण
4. द हिंदू: Supreme Court judgment questions two-child norm with falling fertility rate (4 नवंबर 2026)
5. इंडियन एक्सप्रेस: 2-child norm has lost relevance, SC refers issue to larger bench (4 नवंबर 2026)
6. लाइव-लॉ: Laws penalising having more than 2 children have lost relevance — SC (4 नवंबर 2026)

PCS MANTRA